परिपत्र /महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2024-25// 5728 / राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(चरित्र पंजिका अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 18 मार्च , 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी।

शासनादेश संख्या-63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-24 से **अनिवार्य रुप से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही** किये जाने के निर्देश दिए गए है। इसके अतिरिक्त शासन के ही सपठित आदेश संख्या-03/2025/09/सैतालिस-का-5-2025-(1884274) दिनांक 17-01-2025 व शासनादेश संख्या-12/2025 / 119/ सैतालिस-का-5-2025-(1788429) दिनांक 27-02-2025 द्वारा भी वर्ष 2024-25 से समस्त कार्मिको की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल से किये जाने के निर्देश दिये गए है।

उक्त शासनादेश दिनांक 24-02-2024 अनुसार यह भी निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में ऑटो फार्वर्ड (Auto Forward) की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकर्ता मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेनित (Auto Forward) हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने / मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

तद्क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप द्वारा अपना कार्यविवरण मानव सम्पदा के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में अपलोड करने तथा आपके स्तर (प्रतिवेदक / समीक्षक अथवा स्वीकर्ता) पर अपेक्षित वार्षिक प्रविष्टियों को निर्धारित समयावधि में मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही अंकित करना सुनिश्चित करें।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

P.T.O.

पृ0प0 संख्या एवं दिनांक : ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
4. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।
5. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर को आशय से प्रेषित की मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024-25 की अंकित की जाने वाली वार्षिक प्रविष्टियों के सम्बन्ध में वर्क फ्लो दिनांक 30-04-2025 तक जनरेट करना सुनिश्चित करें।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग को ई0आई0एम0एस0 पर अपलोड करने हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।